इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 557] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2022—आश्विन 18, शक 1944

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2022

क्र. 1115-एफ-2-55-2019-एक-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के उप-खण्ड (2) तथा वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1993 के इस संबंध में सामर्थ्यकारी उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा के द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 344-एफ-2-55-2019-एक-अड़तालीस, दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा बनाए गए नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम (ड़) (1) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) अनुदान, किसी भी एक वर्ष में, किसी भी एक मामले के संबंध में अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा, अधिक से अधिक रुपए 40,000/- (चालीस हजार) तक एवं उपाध्यक्ष द्वारा, रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक सीमित रखा जाएं.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सोनूने, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.